जन-धन, जन-सुरक्षा से विकसित होता वित्तीय विश्वास

–शिशिर सिन्हा

प्रधानमंत्री जन–धन योजना की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी, बैंक खाता खोलने की सरल और सहज व्यवस्था। नतीजा सभी के सामने है। योजना जहां एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने में कामयाब रही, वहीं करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का आधार बनी। 22 मार्च, 2017 तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 28 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते जन–धन योजना के तहत खोले जा चुके हैं जिसमें से करीब 60 फीसदी ग्रामीणों के हैं। मोदी सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल में जन–धन और जनसुरक्षा के जरिए मिली कामयाबी के बाद वित्तीय समावेशन एक नए दौर में कदम रखने को तैयार है। इस दौर में जोर होगा वित्तीय साक्षरता पर।

हाड़ी–बीमारी–बुढ़ापा–दुर्घटना शहर और गांव में भेद नहीं करते। अब दुर्घटना को ही ले लीजिए। कहने को गांव में मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जो होता है, उसमें खतरे कम नहीं। थ्रेशर मशीन को ही ले लीजिए। पकी फसल से अनाज निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली इस मशीन में किसान का हाथ आ सकता है। हालात बिगड़े तो हाथ काटना भी पड़ सकता है। जरा सोचिए, बगैर हाथ के किसान के लिए जिंदगी कितनी मुश्किलों में आ जाएगी। लेकिन क्या इस मुश्किल का कोई हल है?

अगर उसी किसान ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवच लिया है तो उसे दो लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है। मुआवजे की रकम में कुछ पैसा मिला कर वो किसान चाहे तो खुद ही खेतीबाड़ी की मशीन खरीद सकता है जिसे किराये पर देकर वो गुजर बसर तो आसानी से कर ही लेगा। वो चाहे तो अपना छोटा–मोटा रोजगार भी शुरू कर सकता है।

अब जरा सोचिए, इस मुआवजे के लिए प्रीमियम की रकम कितनी होगी? जवाब है सिर्फ 12 रुपये। यानी महज एक रुपये महीने के खर्च पर साल भर के लिए बीमा सुरक्षा। दुर्घटना में मौत हो जाने या पूरी तरह से विकलांग हो जाने पर दो लाख रुपये का मुआवजा और आंशिक रुप से दुर्घटना होने पर एक लाख रुपये का। और हां, एक बात और, ये सुविधा सिर्फ गांवों में नहीं, बल्कि शहरों में भी उपलब्ध है। ये है वित्तीय समावेशन का नया स्वरूप जिसने तीन सालों से भी कम समय में जन–जन के बीच जन–धन के जरिए जन–सुरक्षा को साकार किया है। वित्तीय समावेशन की इस प्रक्रिया की चर्चा प्रधानमंत्री जन–धन योजना के साथ शुरू की जा सकती है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

वैसे तो वित्तीय समावेशन की योजनाएं बीती सरकारें भी चलाती रही, लेकिन उसका वो असर नहीं दिखा जो 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन–धन योजना में दिखा। इस योजना की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी, बैंक खाता खोलने की सरल और सहज व्यवस्था। नतीजा सभी के सामने है। योजना जहां एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने में कामयाब रही, वहीं करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का आधार बनी। 22 मार्च तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 28 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते जन–धन योजना के तहत खोले जा चुके हैं जिसमें से करीब 60 फीसदी ग्रामीणों के हैं।

इस प्रसंग को आगे बढ़ाने के पहले आइए, जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जन–धन योजना की शुरूआत करते हुए 28 अगस्त, 2014 के दिन क्या कहा था–

"आज भी गांव के गरीब परिवारों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं–बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं। लेकिन उसको हर बार परेशानी रहती है, अगर पति को बुरी आदतें लगी हैं, व्यसन की आदत लग गई है तो उस महिला को चिंता लगी रहती है कि शाम को पैसे कहां छुपाए, कहां रखे, बिस्तर के नीचे रखे, वह ढूंढ के निकाल लेता है। लेकर के बैठ जाता है, उसको नशे की आदत लगी है। जब खाता खुल जाएगा तो महिलाओं का कितना आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को।"

माता–बहनों के सहारे प्रधानमंत्री ने आज़ादी के पांच दशक और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चार दशक बीत जाने के बाद भी वित्तीय समावेशन को लेकर आईना दिखाया। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में 24.67 करोड़ परिवार हैं जिनमें से पौने 17 करोड़ के करीब गांव में और पौने आठ करोड़ से भी ज्यादा शहरों में रहते हैं। शहरी परिवारों में 67 फीसदी से भी ज्यादा के पास बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि गांवों में महज 54 फीसदी। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च, 2013 तक 12,100 की ग्रामीण आबादी पर बैंक शाखा थी। इन आंकड़ों से साफ है कि गांवों में आधे से भी ज्यादा परिवार संगठित वित्तीय व्यवस्था से दूर थे। नतीजा, सूदखोरों से मदद मांगने या फिर गाढ़ी मेहनत से कमाए पैसे को असुरक्षित ढ़ंग से रखने की मजबूरी।

वित्तीय समावेशन के लिए पिछली सरकारों की योजनाओं में ज्यादा जोर एक निश्चित संख्या की आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और वहां के लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाने की एक जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन प्रधानमंत्री जन–धन योजना में आबादी की संख्या के बजाए हर परिवार के लिए बैंक खाते पर जोर दिया गया और बैंकिंग व्यवस्था से जोड़े जाने की प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई। पहचान के लिए पासपोर्ट, वोटर आईकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड या आधार जैसे दस्तावेजों में से किसी एक के सहारे महज एक पृष्ठ वाले फॉर्म के जरिए बैंक खाता खोला गया। वहीं जिनके पास पहचान का कोई जरिया नहीं था, उनके लिए भी बैंक खाता खोले जाने का इंतजाम किया गया और पहचान जुटाने के लिए साल भर तक का समय भी दिया गया जिसे विशेष परिस्थितियों में एक साल और बढ़ाने की बात कही गई।

ऐसे बैंक खाते में कम से कम पैसा रखने यानी मिनिमम बैलेंस जैसी कोई शर्त नही होती है। इसीलिए कई मौकों पर आलोचना भी की गई कि जन–धन खातों में जीरो बैलेंस वाले खाते बैंकिंग व्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं, क्योंकि उनके रखरखाव पर बैंकों को खर्च करना पड़ता है। फिलहाल, स्थिति बदल गई है। खुद वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जहां सितम्बर 2017 में हर चार में से तीन जन–धन खाते जीरो बैलेंस वाले होते थे, वहीं दिसम्बर में हर चार में से सिर्फ एक खाता ही जीरो बैलेंस वाला रह गया है। ये स्थिति इसीलिए बदली है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का पैसा बैंक खातों के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है, और इस काम में आधार की मदद ली गई।

ताजा आंकड़े बताते हैं कि लगभग 65 फीसदी बैंक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है। इससे सरकारी योजनाएं चाहे, मनरेगा की बात करें या फिर रसोई गैस पर मिलने वाले सिलेंडर या फिर छात्रवृति की, सभी का पैसा सीधे लाभार्थियो को ही मिल पाता है। इसी का नतीजा है कि फर्जीवाड़ा कर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वालों के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बैंक खातों में आधार को जोड़े जाने के बाद 2016–17 में एक करोड़ के करीब फर्जी मनरेगा जॉबकार्ड का पता चला जिसे अब रद्द कर दिया गया

तालिका 1 : जन–धन योजना

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	कुल खाते	ग्रामीण खाते
अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	52541	37441
आंध्र प्रदेश	8666796	4589868
अरुणाचल प्रदेश	204963	124707
असम	11569026	8687843
बिहार	28448563	18473791
चंडीगढ	219683	33223
छत्तीसगढ़	12308160	8192183
दादरा नगर हवेली	77701	67245
दमन दीव	38795	18360
गोवा	166725	124215
गुजरात	10489266	5484624
हरियाणा	5966208	3240467
हिमाचल प्रदेश	929317	815371
जम्मू–कश्मीर	2152311	1748196
झारखंड	9702085	7198318
कर्नाटक	10577009	6231668
केरल	3199396	1518101
लक्षद्वीप	4758	4356
मध्य प्रदेश	25029112	12091393
महाराष्ट्र	18808408	9227136
मणिपुर	720348	331721
मेघालय	393136	324241
मिजोरम	277718	104933
नगालैंड	202358	107156
दिल्ली	3616441	485005
ओडिशा	11205397	8212746
पुडुचेरी	171875	92343
पंजाब	5321669	3000314
राजस्थान	19351139	12356208
सिक्किम	85572	64982
तमिलनाडु	8681498	4089763
तेलंगाना	8753450	4783120
त्रिपुरा	792707	566729
उत्तर प्रदेश	43623386	26051360
उत्तराखंड	2193497	1343322
पश्चिम बंगाल	26786795	18531239
कुल	280787809	168353688

(30 मार्च, 2017 तक के आंकड़ों के मुताबिक/स्रोत : वित्त मंत्रालय)

है। जन–धन खातों के जरिए सीधे लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने की बदौलत 2014–15 से 2016–17 (31 दिसम्बर, 2016) तक मनरेगा में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बचत हुई। इस पूरी व्यवस्था में ध्यान देने की बात ये है कि फायदा केवल सरकार को ही नहीं, जरुरतमंदों को भी हो रहा है। अब उन्हें अपने पैसे के लिए किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरी के संकेत हैं।

दूसरी ओर, जन–धन की व्यवस्था ने लोगों में बचत की भी प्रवृत्ति डाल दी है। आज की तारीख में जन–धन खातों में करीब 63 हजार करोड़ रुपये जमा हैं। देश में बचत की दर को बढ़ाने में ये काफी मददगार साबित होगा। किसी समय में देश में बचत की दर 38 फीसदी के करीब थी जो घटकर 30 फीसदी के आसपास आ गई। अब जन–धन से इसमें बढ़त की उम्मीद है। चूंकि जन–धन का पैसा बेहद ही सस्ती लागत पर जुटाया गया है, लिहाजा उसकी बदौलत सस्ती दर पर कर्ज देना संभव हो सकेगा। संगठित व्यवस्था से कर्ज मिल जाए तो निश्चित तौर पर भारी–भरकम सूद पर पैसा लेने वालों के पास जाने की जरुरत नहीं होगी।

मत भूलिए कि प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत कुछ शर्तों के बाद पांच हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट यानी जितनी रकम जमा है, उससे ज्यादा निकालने की सुविधा दी गई। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कर्ज भी कह सकते हैं। ये कर्ज पिछले छह महीने के दौरान खातों में किए गए लेन–देन के आधार पर दिया जाता है। दिसम्बर 2016 तक के आंकड़े बताते हैं कि साढ़े 83 लाख से भी ज्यादा खातों के लिए कर्ज की पेशकश की गई। इसमें साढ़े 44 लाख लोगों के लिए कर्ज मंजूर भी किए गए जबकि 24 लाख से कुछ ज्यादा खाताधारकों ने ही करीब 320 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।

वित्तीय विश्वास का माहौल बनाने के लिए जन–धन योजना के तहत रुपे कार्ड भी दिया गया। ये एटीएम सह डेबिट कार्ड है। मतलब किसी भी बैंक से पैसा निकालने के साथ–साथ इस कार्ड की बदौलत बाजार में खरीदारी भी का जा सकती है। एक और बात, इस कार्ड पर एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा की भी सुविधा है। बस शर्त ये है कि दुर्घटना के दिन से 90 दिन पहले के बीच रुपे कार्ड का इस्तेमाल या तो एटीएम पर या ऑन लाइन ट्रांजेक्शन में किया गया हो। ये शर्त तब भी पूरी मानी जाएगी, जब एटीएम पर कार्ड के जरिए महज खाते में जमा रकम के बारे में जानकारी ली गई हो। एक लाख रुपये तक का मुआवजा दुर्घटना में मौत होने या अस्थायी तौर पर अपंगता की सूरत में मिलेगा। इस बीमा सुरक्षा के लिए प्रीमियम भी खाताधारक को नहीं चुकाना है। 50 पैसे प्रति व्यक्ति के लिहाज से प्रीमियम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन अदा करेगी।

कोई भी योजना तभी कामयाब हो सकती है जब उसके लिए जरुरी बुनियादी सुविधाएं हो। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समेत विभिन्न बैंक कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद केंद्रीय बैंक की बगैर पूर्वानुमति के देश के किसी भी हिस्से में शाखा खोल सकते हैं। शर्त ये है कि एक वित्तवर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 फीसदी बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में होना चाहिए। 31 मार्च, 2016 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की कुल मिलाकर 1,32,700 शाखाएं थी जिसमें से 86425 यानी 65.12 फीसदी ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में थे। एटीएम की बात करें तो दिसम्बर 2016 के अंत तक देश में कुल मिलाकर 2,19,637 एटीएम थे जिनमें से 40,480 ग्रामीण इलाकों में और 59,370 अर्धशहरी इलाकों में थे।

अहम बात ये है कि सरकारी बैंकों ने बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में 2013–14 के दौरान 1994, 2014–15 के दौरान 1242, 2015–16 के दौरान 654 और 2016–17 (अप्रैल 2016 से जनवरी 2017) के दौरान 379 शाखाएं खोली। यही नहीं, गांवों को कवर करने के लिए 1.59 लाख उप–सेवा क्षेत्र (एसएलए) बनाए जाते हैं। हर एसएसए के तहत एक से डेढ़ हजार परिवारों को शामिल किया जाता है। फरवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि 33 हजार से ज्यादा एएसए को बैंक शाखाओं से जोड़ा गया है जबकि 1.26 लाख को बैंक मित्र के जरिए। इन सबकी बदौलत जन–धन योजना की वास्तविक रूप में लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है।

जन–धन से जन सुरक्षा

जन–धन खातों से हुए वित्तीय समावेशन का तार्किक तौर पर अगला चरण सामाजिक सुरक्षा रहा। इसके पीछे सोच ये थी कि जब शहरों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर लाले पड़े हों तो गांवों में स्थिति और भी परेशान करने वाली है। अब देखिए ना, 60 फीसदी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से खेतीबाड़ी पर निर्भर है। खेतीबाड़ी में जहां अनिश्चितता चरम पर है, वहीं कृषि पर निर्भर रहने वालों के लिए भी दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। वैसे तो किसान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, फिर भी किसानी करने वाले उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हे नौकरीपेशा लोगों की तरह पेंशन जैसी सुविधा की दरकार होती है। ऐसी ही कुछ सोच के साथ प्रधानमंत्री जन–धन योजना

तालिका 2 : सामाजिक सुरक्षा योजना

योजना	कुल (गांव शहर, पुरुष महिलाएं)	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिलाएं
अटल पेंशन योजना	41,52,446	14,72,511	7,05,874
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	310,21,713	94,77,853	58,91,889
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	994,97,571	316,67,366	211,76,129
कुल	1346,71,730	426,17,730	277,73,892

(मार्च 30, 2017 तक के आंकड़ों के मुताबिक/स्रोत : वित्त मंत्रालय)

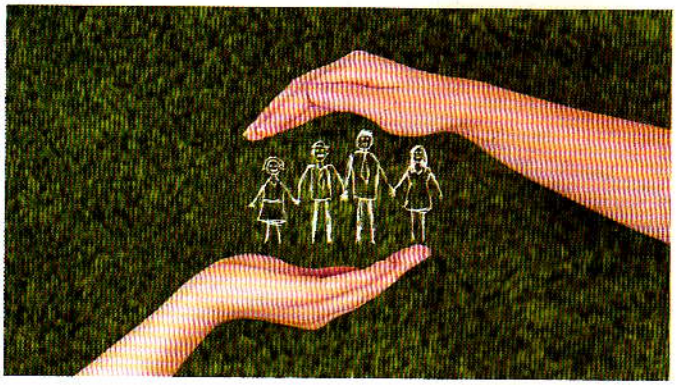

के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सुरक्षा की तीन नई योजनाएं– जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शुरू की गई। पहली दोनों योजनाएं बीमा की हैं तो तीसरी पेंशन की। और हां, तीनों योजनाएं, ग्रामीण इलाकों के साथ–साथ शहरी इलाकों के लिए भी हैं।

इन तीनों ही योजनाओं की खास बात ये है कि आपको इसके लिए किसी बीमा कंपनी के पास जाने की जरुरत नहीं। बस जिस बैंक में आपका खाता है, वहां पर आपको एक स्वीकृति देनी होगी और सीधे बैंक खाते से आपका पैसा प्रीमियम या पेंशन के लिए जरुरी जमा के तौर पर चला जाएगा। एक नजर तीनों योजनाओं की खास बातों पर–

क. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : 18–50 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर जीवन बीमा की सुरक्षा ले सकते हैं। प्रीमियम की रकम एकमुश्त चुकानी होगी। एक रुपये प्रतिदिन से भी कम की दर पर बीमा सुरक्षा एक साल के लिए है और अगले वर्ष उसका नवीकरण कराना होगा। बीमा सुरक्षा हर साल पहली जून से शुरू होकर अगले साल 31 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान यदि योजना में शामिल व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे। बीमा सुरक्षा का हर साल नवीकरण करना होगा। दूसरे शब्दों में, हर वर्ष 31 मई तक या उसके पहले आगे के एक वर्ष के लिए सालाना प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त कर देना होगा।

ख. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : 18–70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति सिर्फ 12 रुपये सालाना प्रीमियम (यानी एक रुपये हर महीने) चुकाकर ये बीमा सुरक्षा ले सकता है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या स्थायी पूर्ण अपगंता की सूरत में 2 लाख रुपये, स्थायी आशिंक अपंगता की सूरत में एक लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है। सालाना प्रीमियम की रकम यानी 12 रुपये एकमुश्त सीधे आपके खाते से जमा होगा। यदि यह रकम 1 जून को या उससे पहले काटी गई है तो बीमा सुरक्षा का फायदा 1 जून से 31 मई के बीच मिलेगा। यदि 1 जून के बाद रकम काटी गई है तो बीमा सुरक्षा अगले माह की पहली तारीख से मिलेगी।

ग. अटल पेंशन योजना : बीमा सुरक्षा का फायदा उम्र के एक पड़ाव तक ही मिल पाता है, लेकिन जिंदगी अगर उसके आगे चली तो कुछ अलग ही उपाय करने होंगे। क्योंकि उम्र ढ़लने के साथ श्रम कर पैसा कमाने का सामर्थ्य तो नहीं रह पाता, लेकिन आवश्यकताएं बनी ही रहती हैं, या यूं कह ले तो बढ़ भी जाती हैं। सरकारी नौकरी या संगठित क्षेत्र की नौकरी में विशेष सुविधा के तहत पेंशन की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए क्या? असंगठित क्षेत्र के ज्यादा कामगार मूल रूप से गांवों के ही होते हैं जो साल के कुछ महीने शहरों में काम करते हैं और बाकी समय गांवों में। इन्हीं सब के लिए अटल पेंशन योजना की शुरूआत की गई। नई योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह 18 और 40 वर्ष के बीच दिए गए अभिदान विकल्प पर निर्भर होगा। इस तरह योजना के तहत कम से कम 20 वर्ष या उससे ज्यादा पैसा जमा कराना होगा। कम उम्र में शुरू करने पर हर महीने जमा की जाने वाली राशि कम होगी जबकि ज्यादा उम्र पर ये रकम ज्यादा हो जाएगी। सरकार योजना के तहत कम से कम एक निश्चित पेंशन की गारंटी देगी। यहां भी पैसा सीधे बैंक खाते से जाएगा।

इन तीनों ही योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में कामयाबी मिली है और उससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बातें ये हैं कि शहरी महिलाओं के मुकाबले ग्रामीण महिलाएं बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बीमा योजनाओं की कामयाबी की एक बड़ी वजह दावों के निबटारे की ऊंची दर भी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर 31 मार्च, 2017 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कुल मिलाकर 62166 दावे किए गए, जिसमें से 59118 यानी 95.10 फीसदी का भुगतान कर दिया गया। इसी तरह प्रधानमत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12534 दावे किए गए जिसमें से 9403 यानी 75 फीसदी का भुगतान कर दिया गया।

मोदी सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल में जन–धन और जनसुरक्षा के जरिए मिली कामयाबी के बाद वित्तीय समावेशन एक नए दौर में कदम रखने को तैयार है। इस दौर में जोर होगा वित्तीय साक्षरता पर। साक्षरता इसीलिए ताकि पैसे से पैसा तैयार हो सके। जन–धन में पैसा जमा हो गया, जन सुरक्षा से बीमा और पेंशन सुरक्षा मिल गए, लेकिन इन सबके जरिए हाथ में जो पैसा आएगा, वो आगे तभी फायदा देगा, जब उसे हम सही जगह पर निवेश करें या सही माध्यमों में लगाए और ये मुमकिन हो सकेगा वित्तीय साक्षरता की बदौलत। ऐसा हुआ तो वित्तीय समावेशन से मजबूत वित्तीय विश्वास का माहौल बनेगा, जो आर्थिक विकास का फायदा निचले पायदान तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

(लेखक 21 वर्षों से आर्थिक और कारोबारी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में संपादक (कारोबारी मामले), एबीपी न्यूज में है।)

ई–मेल : hblshishir@gmail.com